भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- *316

दिनांक 15 सितंबर, 2020 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय मत्स्यपालन नीति (2020)

***316. प्रो॰ अच्युतानंद सामंतः**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यपालन नीति (2017) , राष्ट्रीय अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलकृषि नीति प्रारूप(एन.एफ.पी., 2019) और राष्ट्रीय समुद्री कृषि नीति प्रारूप (2019) प्रस्तुत करने पर विचार किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मत्स्यपालन नीति प्रारूप (2020) मौजूदा नीतियों को प्रतिस्थापित करेगा और यदि नहीं, तो एन.एफ.पी. प्रारूप, 2020 को कार्यान्वित किए जाने की स्थिति में 2019 में प्रस्तुत की गई प्रारूप नीतियों की स्थिति क्या है;

(ग) जलकृषि, जिसे भारी प्रदूषण का एक मुख्य कारण जाना जाता है, के मामले में 'शमन उपायों' के उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज से बाहर रखा गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2017 (एन.पी.एम.एफ.), राष्ट्रीय अन्तर्देशीय मत्स्यपालन और जलकृषि नीति प्रारूप (एन.आई.ए.एफ.ए.पी.) , और राष्ट्रीय सागरीय कृषि नीति प्रारूप (एन.एम.पी.), को समेकित करके पोस्ट हार्वेस्ट घटक के साथ एक व्यापक और एकीकृत 'राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति, 2020' को लागू करने का निर्णय लिया है।

(ग) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत, तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 से अनुबद्ध तटीय जलकृषि को नियमित करने के दिशा-निर्देश में विभिन्न उपाय किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण प्रभाव आकलन , पर्यावरण निगरानी और प्रबंधन योजना , अपशिष्ट

जल प्रबंधन शामिल हैं जिससे तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सके और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वीकृत जलकृषि को सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कोविड -19 राहत पैकेज के अन्तर्गत मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए एक नई समर्पित योजना अर्थात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) की घोषणा की है। इसके विभिन्न घटकों के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) स्कीम में सूचीबद्ध विभिन्न कार्यकलापों के लिए मत्स्य कामगारों सहित परंपरागत मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनमें मत्स्यपालन संसाधनों के संरक्षण के लिए मछली पकड़ने के प्रतिबंध/मंदी की अवधि के दौरान सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सक्रिय परंपरागत मछुआरों के परिवारों की आजीविका तथा पोषण सहायता भी शामिल है।

*****